भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 75*

दिनांक 29.04.2015/9 वैशाख, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

राज्यों को सिविल रक्षा में महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु सहायता प्रदान करना

***75. श्री पॉल मनोज पांडियन :**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्य सरकारों को महिलाओं को स्व:-रक्षा के लिए प्रशिक्षित करने हेतु कहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार राज्य सरकारों को इस संबंध में पूर्ण सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क) से (ख) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

<u>दिनांक 29.04.2015 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 75 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में विवरण</u>

(क) से (ख) : जी, नहीं । केन्द्र सरकार ने आत्म रक्षा में महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए राज्य सरकारों को नहीं कहा है और इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई सहायता प्रदान करने पर भी विचार नहीं कर रही है । सिविल रक्षा महानिदेशक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित कम्पोडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन फॉर सिविल डिफैंस, 2011 में प्रकाशित पाठ्यक्रम, जिसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है, के अनुसार सिविल डिफैंस ट्रेनिंग का संचालन, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा तीन स्तरों, अर्थात स्थानीय स्तर/नगर के स्तर/जिला स्तर पर किया जाता है ।

*****